उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
सं0 1214 / वि0 अनु0–5 / व्या0 क0 / 2002

देहरादूनः दिनांक 23 मार्च 2002

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है जो आवश्यक एवँ समीचीन हो;

तथा चूँकि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1948) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम ,2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1948) जैसा कि नियत तिथि(दिनांक 09–11–2000)को उत्तर प्रदेश में प्रवृत था, उसी रूप में उत्तरांचल राज्य में अंगीकृत किया जाता है जो निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा ;–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (अनुकूलन एवँ उपान्तरण) आदेश, 2002

1– **संक्षिप्त शीर्षक एवँ प्रारम्भ–** (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवँ उपान्तरण) आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2– **उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना** :–

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1948) जैसा कि दिनांक 09–11–2000 को उत्तर प्रदेश में प्रवृत था में जहॉ–जहॉ शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है, वहॉ शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

3–**दिनांक 9–11–2000 के उपरान्त उत्तंराचल के संशोधनः–**

दिनांक 09–11–2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, नियम एवं विज्ञप्तियों में समय समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

4– **मूल अधिनिमय की धारा 21 की उपधारा (2) में नये परन्तुक का प्रस्थापन** :–

मूल अधिनिमय की धारा 21 की उपधारा (2) के चौथे परन्तुक के उपरान्त निम्नलिखित नया परन्तुक रख दिया जायेगा–

" प्रतिबन्ध यह भी है कि वर्ष 1999–2000 के कर निर्धारण अथवा पुनः करनिधारण 31 मार्च 2003 तक किये जा सकते हैं।"

(इन्दु कुमार पाण्डे)

सचिव, वित्त

संख्या / 2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवँ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– आयुक्त कर, उत्तरांचल।

2– उप निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निदेश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियाँ शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

अपर सचिव (वित्त)
उत्तरांचल शासन।